न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी विनोद कुमार (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/07/2017 दायर दिनांक 19.07.2017

उनवान

1. मु,केसर बाई पुत्री हेमगर जाति गुसाई, आयु व्यस्क निवासी रोलिया, तहसील कपासन , जिला चित्तौड़गढ़

अपीलान्ट

बनाम

1. शंकरगर पुत्र हेमगर जाति गुसाई, आयु व्यस्क निवासी पीपलखेड़ी, तहसील कपासन , जिला चित्तौड़गढ़
2. अणछाई बेवा रूपगर जाति गुसाई, आयु व्यस्क निवासी पीपलखेड़ी, तहसील कपासन , जिला चित्तौड़गढ़
3. कैलाशगिरी पुत्र रूपगर जाति गुसाई, आयु व्यस्क निवासी पीपलखेड़ी, तहसील कपासन ,जिला चित्तौड़गढ़
4. शिवगिरी पुत्र रूपगर जाति गुसाई, आयु व्यस्क निवासी पीपलखेड़ी, तहसील कपासन ,जिला चित्तौड़गढ़
5. सोहन बाई पुत्री हेमगर जाति गुसाई, आयु व्यस्क निवासी पीपलखेड़ी, तहसील कपासन ,जिला चित्तौड़गढ़
6. लक्ष्मीबाई पुत्री हेमगर जाति गुसाई, आयु व्यस्क निवासी पीपलखेड़ी, तहसील कपासन ,जिला चित्तौड़गढ़
7. दाखी पुत्री हेमगर जाति गुसाई, आयु व्यस्क निवासी पीपलखेड़ी, तहसील कपासन ,जिला चित्तौड़गढ़
8. ग्राम पंचायत करूंकडा, तहसील कपासन जरिये सरपंच ग्राम पंचायत करूंकडा तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़
9. भूमिधारी तहसीलदार तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट अपील विरूद्ध

आदेश ग्राम पंचायत करूंकडा नामान्तरण सं 49, दिनांक 02.10.2001

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2021.04.16 17:47:25 IST
Reason: Self Attested

निर्णय दिनांकः 19.03..2021

:निर्णय:

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलान्ट ने अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट के इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा पीपलखेडी पटवार हल्का करूंकडा तहसील कपासन जिला

चित्तौडगढ की हल्के बैरूनी की ग्राम पंचायत करूंकडा तहसील कपासन द्वारा दिनांक 02.10.2001 को खोला गया विवादित नामान्तरण विधि एवं न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होकर निरस्त होने योग्य है, अपीलार्थी की माता नोजी बाई पत्नी हेमगर जाति गुसाई की मौरूसी जायदाद ग्राम पीपलखेडी पटवार हल्का करूंकडा तहसील कपासन में स्थित है जिसके संवंत् 2057–2060 में खाता संख्या 104 किता 15 रकबा 9.09 है0 थे मुझ अपीलार्थी की माता की मृत्यु वर्ष 2001 में हुई उनके उत्तराधिकारीगण का सजरा इस प्रकार है कि शंकरगर(पुत्र), केसर, सोहनी, लक्ष्मी, दाखी(पुत्रियां), रूपगर (फौत पुत्र) के वारिस कैलाशगिरी , शिवगिरी(पुत्र), अणछाई (पत्नी)। नोजी बाई की मृत्यु के बाद दोनो पुत्र रूपगर व शंकरगर एवं चारो पुत्रियां केसर, सोहनी, लक्ष्मी एवं दाखी अपने–अपने हिस्से अनुसार आराजीयात पर काबिज होकर शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग करते हुए काश्त करती चली आ रही है, नोजी बाई की मृत्यु वर्ष 2001 में हो गई व उसके बाद उनका हिस्सा मुझ अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 7 तक के हिस्से में आया एवं अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। रूपगर की मृत्यु हो जाने से उसके वारिसान रेस्पोडेन्ट संख्या 2,3,4 को बनाया गया है। अभी कुछ दिन पूर्व अपीलार्थी के हिस्से की जमीन पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 आये और लडाई झगडा करने लगे और कहा की ये जमीन हमारे खातेदारी की है, तुम्हारा यहां कुछ भी नहीं है और जमीन को खुर्द बुर्द करने की धमकी दी तो मैनें पटवारी साहब करूंकडा से उक्त जमीन की जमाबन्दी निकलवाई तो ज्ञात हुआ की जमीन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 दर्ज है और नामान्तरण की नकल प्राप्त की तो ज्ञात हुआ की रूपगर व शंकरगर ने ग्राम पंचायत करूंकडा से मिली भगत कर मुझ अपीलार्थी की माता नोजी बाई की मृत्यु उपरान्त दिनांक 02.10.2001 को नामान्तरण अपने नाम पर खुलवा लिया और मुझ अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 5 से 7 को अपने खातेदारी अधिकार से वंचित कर दिया। ग्राम पंचायत करूंकडा ने हमें सुने बिना ही नामान्तरण दिनांक 02.10.2001 को स्वीकृत कर लिया जो निरस्त योग्य है। अन्त में प्रार्थना की कि विवादीत नामान्तरण 49 दिनांक 02.10.2001 ग्राम पंचायत करूंकडा को निरस्त कर नोजी बाई के विधिक वारिसान के नाम नामान्तरण दर्ज कराने की कृपा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2021.04.16 17:47:25 IST
Reason: SelfAttested

हमनें अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टगण को जरिये समन तलब किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 6, 7 की ओर से अधिवक्ता श्री कृष्ण गोपाल झॅवर व रेस्पोडेन्ट

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

संख्या 5 की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ व 2, 3, 4 की ओर से अधिवक्ता श्री डालचन्द जाट का अधिकार पत्र पेश हुआ। रेस्पोडेन्ट अधिवक्ताओं ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम व अपील का जवाब प्रस्तुत न कर सीधे बहस हेतु निवेदन किया । बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम व अपील पर उभयपक्ष अधिवक्ता सुनी गयी। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने निवेदन किया कि संपति पैतृक है व इन्तकाल विधि विरूद्ध है अतः अपील स्वीकार फरमायी जावें। वकील रेस्पोडेन्ट ने निवेदन किया की अपीलार्थी ससुराल में रहती है तथा उसका कब्जा नहीं है व इन्तकाल खुले काफी समय निकल गया है अतः धारा 5 मियाद अधिनियम पोषणीय नहीं है यदि अपीलार्थी को विवादीत आराजीयात की खातेदारी चाहिये तो खातेदारी अधिकारी का वाद पत्र प्रस्तुत करें व अन्त में निवेदन किया कि अपील अपीलार्थी खारीज फरमायी जावें। हमनें उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी, की गयी बहस पर मनन किया , पत्रावली का अवलोकन किया। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने निवेदन किया कि मृत्तक नोजी बाई की अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 5, 6, 7 पुत्रीयां है जिसे वकील रेस्पोडेन्ट ने स्वीकार किया अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है व अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर निर्णय लिया जाता है कि ग्राम पंचायत करूंकडा द्वारा पारित आदेश (बाबत इन्तकाल संख्या 49 दिनांक 02.10.2001 को) को अपास्त किया जाकर तहसीलदार कपासन को अपील इस आशय से रिमाण्ड की जाती है नियमानुसार विधि सम्मत कार्यवाही की जाकर मृतक नोजी बाई के वारिसान की जांच कर सभी पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाकर नामान्तरण खोलने की कार्यवाही करे। तहसीलदार कपासन को निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2021.04.16 17:47:25 IST
Reason: SelfAttested

(विनोद कुमार)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन